समाहरणालय हजारीबाग

(समाज कल्याण शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में ऑगनबाड़ी केन्द्र आकस्मिकता (आपूर्ति सामग्री) मद के सामग्रियों के क्रय हेतु निम्न प्रकार अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में दिनांक– 15.9.17 को 12:00 बजे अपराह्न तक जमा करेंगे। दिनांक– 15.9.17 को 4:00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा
1	राष्ट्रीय ध्वज (मध्यम)	प्रति अद्‌द	21	गोंद (200 मिली0)	प्रति अद्‌द
2	तौलिया (छोटा)	प्रति अद्‌द	22	गोंद (ट्यूब)	प्रति अद्‌द
3	साबुनदानी	प्रति अद्‌द	23	ब्लैक बोर्ड (रोलिंग) (3'x3')	प्रति अद्‌द
4	साबुन	प्रति अद्‌द	24	रंगीन चौक	प्रति डब्बा
5	नारियल झाडू	प्रति अद्‌द	25	स्केच पेन	प्रति दर्जन
6	फूल झाडू	प्रति अद्‌द	26	मोम वाला रंग	प्रति दर्जन
7	रूलदार जिस्ता कागज	प्रति रिम	27	पेन्सिल	प्रति दर्जन
8	सादा जिस्ता कागज	प्रति रिम	28	रबर	प्रति दर्जन
9	रूलदार पंजी (130 पृष्ठ)	प्रति अद्‌द	29	कटर	प्रति दर्जन
10	पंजी (छपाई के साथ) (80 पृष्ठ)	प्रति अद्‌द	30	स्टाम्प पैड (बडा)	प्रति अद्‌द
11	सब्जी, फल, फूल एवं अन्य कैलेण्डर	प्रति अद्‌द	31	कंघी (मोटा)	प्रति अद्‌द
12	पेपर पीन	प्रति डब्बा	32	कंघी (महीन)	प्रति अद्‌द
13	स्टेपलर	प्रति अद्‌द	33	प्लास्टिक कुर्सी	प्रति अद्‌द
14	स्टेपलर पीन	प्रति डब्बा	34	प्लास्टिक टेबल	प्रति अद्‌द
15	फ्लाई लीफ	प्रति अद्‌द	35	प्लास्टिक बाल्टी	प्रति अद्‌द
16	कार्बन (कोरस)	प्रति दर्जन	36	प्लास्टिक जग	प्रति अद्‌द
17	टैग	प्रति दर्जन	37	प्लास्टिक डस्टबीन	प्रति अद्‌द
18	कैंची (बडा)	प्रति अद्‌द	38	चटाई (बडा)	प्रति अद्‌द
19	स्लेट	प्रति अद्‌द	39	दरी (2'x6') (छोटा बच्चों के बैठने के लिए)	प्रति अद्‌द
20	अक्षर ब्लॉक	प्रति अद्‌द	40	ताला (मध्यम)	प्रति अद्‌द

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/– (बीस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से संलग्न करना होगा।

2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का आयकर, बिक्रीकर पंजीकरण, पैन कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना होगा एवं अद्यतन आयकर एवं बिक्रीकर स्वच्छता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

3. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवारों का ही वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायेगा।

5. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिले के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आपूर्ति आदेश निर्गत करने के 20 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथलन व्यय देय नही होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

6. झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित का निविदा ही मान्य होगा। निविदादाओं द्वारा यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हर प्रकार के आरोप एवं जॉच से मुक्त है।

7. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. आपूर्ति किये जाने वाले समान का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

9. निविदा में परिवहन, हथलन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।

10. आपूर्ति की गयी सामानों की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए।

11. नकली एवं खराब सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार्य नही होगी। ऐसा करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

12. स्वीकृत/ निविदीत प्रतिष्ठान को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के साथ एकरारनामा करना होगा।

13. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा से संबंधित जानकारी सूचना पट पर एवं www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
हजारीबाग।